

यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

मुकदमा नं. 136 LK Kh ... मुकदमा नं. 33 ... सन् 20 19

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
114	<p>प्राथमिकी को ले कर लीजिएगी राजेश्वर कुमार श्रीवा ने प्राथमिकी पेडा किमा / प्राथमिकी को ले कर ले। अग्रणी को तलबी लाइने गोरिच की जाकर प्राथमिकी डिग्रेड 18/9/19 को पेडा हो।</p>	
18/09	<p>प्राथमिकी पेडा हुई। वकालत परिकेन को/लघुहस्ताक्षर। पीठरीन अधिकारी को /अग्रणी में वकालत प्राथमिकी अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24/9/19 को पेडा हो।</p>	
24/09	<p>प्राथमिकी पेडा हुई। वकील जर्नी 3901 प्रकरण में वकालत वकील जर्नी मुनी जर्नी कान्ते अग्रिम प्राथमिकी डिग्रेड 04-10-2019 को पेडा हो।</p>	
04/10	<p>प्राथमिकी वकालत आदेश पेडा हुई। प्रकरण में वकालत वकील जर्नी प्रकरण में मुनी जर्नी मुनी है। दोस्त वकालत वकील प्राथमिकी ने प्राथमिकी-प्र में अग्रिम लघुहस्ताक्षर को दोस्त वकालत मुनी जर्नी अग्रिम नाम मुनी जर्नी प्रकरण जाने का निवेदन डिग्रेड।</p>	
	<p>प्राथमिकी, प्राथमिकी पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं पेडा मुनी वकालत जाने का अग्रिम डिग्रेड गया। प्रकरण प्रकरण में विवादित भूमिको के प्राथमिकी प्रकरण 354 ग 360 थे जिसे अग्रिम डिग्रेड 2033 से 2036 में नामान्तरकण को 76 के द्वारा भूमिको के प्रकरण पर प्राथमिकी प्राथमिकी प्रकरण, मंदा, मीमा, गौरा प्रकरण भूमिको के प्रकरण</p>	

तारीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर
अहम
हुकम
में

नाम पर्ज हुका) प्राचीनता के पहचान के दस्तावेजों
 में भी प्राची सं० 1 का नाम "नन्दाराम पुत्र
 भोन्नाराम" तथा प्राची सं० 2 का नाम "गीगाराम
 पुत्र भोन्नाराम" ही पर्ज है। अतः इन्हें नये
 के आलेख में प्राचीनता का प्राचीन-पर स्वीकार
 किया जाकर आदेश दिया जाना है कि: -

निर्णय

तम ग्राम बामरडा प० ह० डैरपुरा तहसील जयपुर
 जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि का
 नं० 753 ता 763, 765, 766, 768, 769, 770
 रकबा 3.7000 है। के वर्तमान राजस्व रेकार्ड
 में प्राची सं० 1 का नाम "श्रीगणेश भोन्नाराम" हिनका
 1/16 के स्थान पर "नन्दाराम पुत्र भोन्नाराम"
 हिनका 1/16 तथा प्राची सं० 2 का "भोलु पुत्र
 भोन्नाराम" हिनका 1/16 के स्थान पर "गीगाराम
 पुत्र भोन्नाराम" हिनका 1/16 प्रकान्त किया जाना
 है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दायर
 हेतु तहसीलदार जयपुरा को तस्वीर आदेश
 जारी है। पत्रावली केमल शुमार होकर
 नम्बर से कम हो रहा बाद तहसील दायर
 पफर हो। निर्णय आज दिनांक 04-10-2019
 को पुणे न्यायालय में प्रकान्त गया।



Jr
 4/10/19
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)